न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2021-284Ju2021-149 Dhagaldas Vs Govindsingh etc

ढगलदास दत्तक पुत्र धनाराम जी, जाति- साद, निवासी- ग्राम रापुरिया भाटियान् तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. गोविंदसिंह पुत्र श्री माधूसिंह जी, जाति- राजपुरोहित, निवासी- ग्राम रामपुरिया भाटियान् तहसील- बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
03. नारायणसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति- राजपुरोहित, निवासी- ग्राम कूंपावतों की रामासनी,, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
04. करनेलसिंह पुत्र तख्तसिंह
05. कल्याणसिंह पुत्र माधूसिंह
06. कालुकंवर पुत्री तख्तसिंह
07. चैनसिंह पुत्र श्री माधूसिंह
08. जरनेलसिंह पुत्र तख्तसिंह
09. राजुकंवर पुत्री तख्तसिंह, जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- ग्राम रामपुरिया भाटियान् तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
10. खींवसिंह पुत्र स्व. मंगलसिंह
11. डूंगरसिंह पुत्र स्व. मंगलसिंह
12. नरपतसिंह पुत्र स्व. मंगलसिंह जातियान् राजपुराहित, ग्राम कूंपावतों की रामासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा दिनांक 13 जुलाई 2021 राजस्व पार्थना पत्र संख्या 17/2020 गोविंदसिंह बनाम ढगलदास इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मदन लाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री,गौतम भार्गव अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या बारह

नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 गोविंदसिंह बनाम ढगलदास इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 13 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 17 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा के समक्ष अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेन किया कि प्रत्यर्थी संख्या एक की सह खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खेत खसरा नं. 27 रकबा 4.1583 हैक्टेयर मौजा ग्राम रामपुरिया भाटियान् तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में आई हुई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक का 1/8 हिस्सा है। प्रत्यर्थी संख्या एक ने अपने खसरा नं. 27 में आवागमन हेतु खसरा नं. 25 व 26 में से नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात पत्रावली अपीलार्थी के जवाब में नियत थी, परन्तु कोरोना काल के कारण अदालतों का कार्य सुचारू रूप से नहीं होने के कारण अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को अपीलार्थी का जवाब बंद कर पत्रावली अंतिम बहस हेतु मुकर्रर कर दी। दिनांक 13 जुलाई 2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय आदेश पारित कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर ने प्रत्यर्थी संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं करने की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलार्थी एक दृष्टिबाधित अन्धा व्यक्ति है। इस कारण भी मौका रिपोर्ट नियमानुसार नहीं होने के कारण मानी जानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ते की थ्यौरी के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो प्रार्थना पत्र धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने के कारण तथा मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। कोरोना काल चलने के कारण अपीलांट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया तथा उस समय अदालतों का कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का जवाब बंद कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है। प्रत्यर्थी के पड़ौसी गांव शिवनगर से आने-जाने का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपीलार्थी की भूमि से नए रास्ते की मांगी की है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की भूमि खेसरा नं.26 में आने-जाने हेतु पूर्व से रास्ता उपलबध था, परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की भूमि में सें नए रास्ते की मांग की गई है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिंदु को दरकिनार कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 जुलाई 2021 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्य उचित आदेश जो मान्यवर न्यायालय न्याय हित में पारित किया जाना आवश्यक समझे जो अपीलार्थी के पक्ष में सादिर फरमावें।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. के खातेदारी खेत खसरा नं. 27 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये, फिर भी अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब बंद कर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कोरोना काल की अवधि में उसका जवाब बंद कर अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रार्थी रेस्पो. गोविंदसिंह के खेत खसरा नं. 27 में आवागमन हेतु गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 517 ग्राम शिवनगर उपलब्ध है। खसरा नं. 27 एवं गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 517 के बीच में खसरा नं. 27/1 तथा 542 पड़ता है। **खसरा नं. 542 रकबा 7.6046 में प्रार्थी/रेस्पो. गोविंदसिंह पुत्र माधोसिंह का खसरा नक्शा एवं जमाबंदी दिनांक 26.08.2021 ग्राम शिव नगर तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 140 पुराना खाता संख्या 44 के मुताबिक 1/5**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्सा निहित है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में ही पटवारी बाला से दूरभाष पर हुई वार्ता पर पटवारी बाला द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 27 (ग्राम रामपुरिया भाटियान्) एवं 542(ग्राम शिवनगर) के बीच में स्थित खसरा नं. 27/1(ग्राम रामपुरिया भाटियान्) में रास्ते की दूरी 40 गट्ठा बताई गई। **मौका फर्द दिनांक 28.10.2020 में भी प्रार्थी को आवागमन इसी रास्ते से बताया गया है।** खसरा न. 542 प्रार्थी/रेस्पों. की खातेदारी का होने से उक्त रास्ता ही खसरा नं. 27 में आवागमन हेतु **वर्तमान में चलायमान अवस्था में लघुतम एवं वैकल्पिक रास्ता है।** इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13 जुलाई 2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में खसरा नं. 27/1 के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 27 सें खसरा नं. 542 तक आवागमन हेतु रास्ते की लंम्बाई एवं रकबे बाबत मौका रिपोर्ट तलब कर उभय पक्ष की समुचित सुनवाई पश्चात् विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर